# कार्यालय : पारिवारिक न्यायालय प्रतापगढ, (राज.)

क्रमांक :– स्थापना/2021/34 दिनांक :–20.04.2021

**–:: आदेश ::–**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 के अनुसरण में परिवर्तित परिस्थितियों में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक निम्न कार्यव्यवस्था अमल में लाई जाती है :–

01.– कोई भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण/प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के ई–मेल पते **fc-pra-rj@hcraj.nic.in** पर भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालु होता है, उस समय उस प्रकरण/प्रार्थना पत्र की मूल प्रति पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दिये जावेंगें। अधिकृत ई–मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण/प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार/अधिवक्ता के वे मोबाईल नम्बर जिस पर वॉट्सअप है, का विवरण तथा पक्षकार/अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई–मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा। उसके बिना उपरोक्त प्रकरण/प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होंगे।

02.– अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवायी विडियो–कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा विडियों कॉल/वॉट्सअप/वाईसकॉल के माध्यम से की जायेगी।

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी/पारिवारिक प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

| वर्तमान नियत दिनांक | आगामी नियत दिनांक |
|---|---|
| 20.04.2021 | 04.05.2021 |
| 22.04.2021 | 05.05.2021 |
| 23.04.2021 | 07.05.2021 |
| 24.04.2021 | 10.05.2021 |
| 26.04.2021 | 12.05.2021 |
| 27.04.2021 | 11.05.2021 |
| 28.04.2021 | 13.05.2021 |
| 29.04.2021 | 15.05.2021 |
| 30.04.2021 | 18.05.2021 |
| 01.05.2021 | 17.05.2021 |
| 03.05.2021 | 19.05.2021 |

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

–Sd

न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
प्रतापगढ (राज.)

प्रतिलिपि :– 35/20.4.21

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ
2. अधिवक्ता संघ, को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वें अपनें पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
3. आदेश की प्रति सिस्टम ऑफीसर को प्रेषित कर लेख है कि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावें।

20/4/2021

न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
प्रतापगढ (राज.)